राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.2(30)नविवि/2016 जयपुर, दिनांक 14 JUN 2017

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना–2017 में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु एम्पावर्ड कमेटी का गठन माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता किया गया है। उक्त एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 06.06.2017 को आयोजित की गयी।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्नाकिंत निर्देश एतद्द्वारा दिये जाते है :–

1. दवे आयोग से सम्बन्धित प्रकरणों में प्रश्नगत भूमियों को न्यायिक निर्णय के अध्यधीन सरकारी भूमि मानते हुए नियमन किया जावे। नियमन की दर विभागीय अधिसूचना दिनांक 21.09.2012 के अन्तर्गत ली जायेगी।

   जयपुर रीजन के सन्दर्भ में नगर निगम, जयपुर बनाम लेखराज सोनी से संबंधित विशेष अनुमति याचिका के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

   जो प्रकरण न्यायालय में लम्बित है एवं स्थगन आदेश प्रभावी है, उनमें प्रकरण न्यायालय से विड्रो होने के उपरान्त ही नियमन की कार्यवाही की जायेगी।

   मास्टर प्लान में अनुज्ञेय भू–उपयोग के अनुरूप मौके पर भू–उपयोग पाये जाने पर निर्धारित मापदण्ड़ों के अनुसार ही सड़कों की चौड़ाई उपलब्ध होने पर ही नियमन किया जायेगा।

2. जयपुर शहर में स्थित 67 कॉलोनी जिनकी भूमि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की गयी है परन्तु जिनका कब्जा नहीं लिया जा सका है के संबंध में निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल दोनों संस्थाओं के अधिकारी संयुक्त बैठक आयोजित कर सहमति बनाते हुए आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि समस्या का निराकरण हो सके।

3. जिन प्रकरणों में धारा 55 के तहत सहकारिता विभाग द्वारा जांच की जा रही है के संबंध में शीघ्र जांच कार्यवाही पूर्ण करने हेतु विभाग की ओर से सहकारिता विभाग को पत्र लिखा जाये। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी कॉलोनियों की सूची प्रस्तुत की जाये जिनमें सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही जांच के कारण नियमन की कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।

4. अब तक की प्रगति संतोषजनक न होने का कारण व्यापक प्रचार प्रसार का अभाव एवं बिना किसी ठोस आधार के पट्टो हेतु प्राप्त आवेदन निरस्त किया जाना दृष्टिगत हो रहा है। अतः समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि समस्त पात्र आवेदकों को पट्टा जारी किया जाये। यदि किसी कारण से पट्टा नहीं दिया जा सकता है तो उसके स्पष्ट कारण अभिलिखित किये जाये। संस्थाप्रधान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना किसी ठोस आधार के किसी आवेदन पत्र को निरस्त न किया जाये एवं कोई भी पट्टे हेतु प्राप्त आवेदन पत्र लम्बित न रहने का प्रमाण पत्र दिया जाये।

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी नगरीय निकायो से नियमन योग्य कॉलोनियों की सूची उनमें अनुमोदित भूखण्डों की संख्या, अब तक जारी किये गये पट्टो की संख्या व पट्टो से शेष रहे भूखण्डों की संख्या बाबत् सूचना आगामी एक सप्ताह में प्राप्त की जावे। अतः समस्त संस्थाऐं एक सप्ताह में उक्त सूचना विभाग को प्रेषित करें।

5. जयपुर शहर में आयोजित शिविरों की अत्यन्त कम प्रगति को देखते हुए अध्यक्ष एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कृषि भूमियॉ जिन पर कॉलोनियों बस चुकी है तथा जिनके पट्टे जारी होने शेष है के शिविर लगाने के निर्देश दिये गये। उक्त शिविर यथा संभव कॉलोनियों में ही लगाये जावे, जिससे आम जन की भागीदारी अधिक हो सके।
6. दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी कॉलोनियों जिनमें वर्तमान में 10 प्रतिशत भूखण्डों पर निर्माण हो चुका है वहॉ पर सूओमोटो 90ए की कार्यवाही की जाकर विकास समिति के द्वारा दी गयी सूची अनुसार व मौके पर कब्जे के अनुसार पट्टे जारी किए जावे।

(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

क्रमांक प.2(30)नविवि/2016

जयपुर, दिनांक 14 JUN 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, महापौर, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. निजी सचिव आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. निजी सचिव, जिला कलक्टर, जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
11. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
13. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण
14. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त
16. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग,
17. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
18. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
19. रक्षित पत्रावली।

श्रीमान वरिष्ठ शासन उपसचिव, UDH को website पर अपलोड करने बाबत्।

14/6

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय
14/6/17